श्री आर० डी० गट्टानी : मान उद्योग, जयपुर से जो ज़मीन लीज़ पर ली गई है वह काफ़ी महंगी पड़ती है, उसको कम करने की चेष्टा करेंगे ?

SHRI BIJU PATNAIK: I have specially looked into this particular case. This land is very close to the railway line. It has also got a private siding into the yard. That is why the cost was at a high rate. About changing of the yard we are considering whether we can ask the State Government to allocate another suitable yard.

आर० डी० गट्टानी : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो मान उद्योग है उसको बहुत थोड़ी कीमत पर ज़मीन लीज़ आउट जयपुर स्टेट ने की थी । उस ज़मीन में से थोड़ी सी खुली हुई बहुत ज्यादा किराये पर दी गई है, इसलिए उसको कम किया जाना चाहिए ।

SHRI BIJU PATNAIK: The land measuring 9.22 acres is not a small piece. According to all the authorities with whomsoever we have checked the rent is not too high because it is within the proximity of the Railways. We are looking for our own land.

Diarrohea and Respiratory Diseases in Children

*367. SHRI R. P. DAS: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether diarrohea and respiratory diseases are among the biggest killers of infants in India;

(b) whether Government are aware that these diseases can be prevented only by a better sewerage and water supply system by raising the standard of living in the country; and

(c) if so, the steps taken to combat the diseases?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां ।

(ख) देश में मल निकास और जलपूर्ति की बेहतर व्यवस्था करने और लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने से अतिसार सम्बन्धी बीमारियां काफी हद तक कम हो जाएंगी ।

(ग) सरकार ने इस दिशा में जो जो कदम उठाए हैं उनका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बच्चों में अतिसार और श्वसन संबंधी बीमारियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:--

1. शिशुओं में अतिसार और श्वसन संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए बाह्य स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य और चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है ।

2. गंभीर रूप से बीमार बच्चों को उन उप-जिला और जिला अस्पतालों में भेज दिया जाता है जहां बच्चों के रोगों के विशेषज्ञ काम कर रहे हों । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों में ही प्राथमिक उपचार सुलभ करने के लिए सहायक नर्स धात्रियों, महिला हैल्थ विजिटरों को भी प्रशिक्षित किया जाता है ।

3. स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारियों के पास स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सामग्री भी दे दी जाती है । अतिसार संबंधी बीमारियों को कम करने के लिए यह स्टाफ लोगों को उपयुक्त भोजन करने और साफ सुथरा रहने की आदत डालने की शिक्षा देने के कार्यक्रम भी चलाता है ।

4. जल पूर्ति और स्वच्छता का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिस अन्तर्गत विभिन्न राज्य संघ शासित क्षेत्रों द्वारा पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करने की और मल निकास की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

5. गावों में पीने के पानी की शीघ्र व्यवस्था करने का एक केन्द्र पोषित कार्यक्रम भी आरम्भ किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत उन गांवों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी और जो साफ और सुरक्षित पेय जल प्राप्त करने में तीव्र कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।

6. वायु दूषण के नियंत्रण के लिए शीघ्र ही एक विधान बनाने का भी प्रस्ताव है।

SHRI R. P. DAS: Diphtheria, whooping cough and measles come under the respiratory diseases and according to the report of World Health Organisation measles alone tops the list of killer diseases for infants. Incidentally, there can be vaccine for diphtheria and whooping cough but no vaccine for measles is available in India. In view of this may I know from the Minister whether the Government is considering any proposal to manufacture vaccine for measles in India.

श्री राज नारायण : प्रश्न केवल दस्तों तथा श्वास की बीमारियों को करने से संबंधित था, इसके अलावा और कोई दूसरी बात इसमें नहीं आती। इसके लिए अलग नोटिस की आवश्यकता है।

SHRI R. P. DAS: Is Government aware of the conference sponsored by UNICEF scheduled to be held at Manila from May 17—19 in Children's International Year, 1979? In this connection I would like to know the names of the pediatricians and the experts tipped for the conference. Has the list been prepared by now or is it in the making?

श्री राजनारायण : यह प्रश्न इसमे पैदा ही नहीं होता।

श्री युवराज : क्या मंत्री महोदय यह बतलाएंगे कि किन किन राज्यों में नेशनल वाटर सप्लाई और सैनीटेशन के प्रोग्राम को चालू किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इसमें कहां आता है ?

श्री युवराज : इस प्रश्न के उत्तर में जो मंत्री महोदय ने स्टेटमैंट दाखिल किया है उसके आइटम 4 में यह उल्लेख है कि

A national water supply and sanitation programme has been launched under which safe and protected drinking water supply and sewerage schemes are being implemented by the various State Governments and Union Territories.

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने किन किन राज्यों में इस प्रोग्राम को चालू किया है ?

श्री राजनारायण : वास्तव में शुद्ध पानी का विषय हमारे मंत्रालय के अधीन नहीं है। मैं सदन के सदस्यों को यह कठिनाई बतलाना चाहता हूं कि यह विषय वर्क्स हाउसिंग मंत्रालय के अधीन चला गया है। मेरी बराबर यह कोशिश है कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आ जाए। 1–9–1969 के पहले तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन था। दुनिया के सभी मुल्कों में पानी का विषय स्वास्थ्य मंत्रालय में आता है, मगर हमारे देश में

[श्री राजनारायण]

इसे स्वास्थ्य विभाग से अलग रखा गया है क्योंकि यह विषय वर्क्स हासउसिंग मंत्रालय के अधीन है, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं फिर जनरल तौर पर मैं कुछ उत्तर दे रहा हूं। गांवों में पीने के पानी की शीघ्र व्यवस्था करने की कोशिश को प्राथमिकता दी जा रही है।

हमारे प्रधान मंत्री जी का ब्यान अखबारों में भी आ चुका है कि हर गांव को पीने का शुद्ध पानी मिले इसकी व्यवस्था के लिए सरकार एक बड़ी योजना बनाने जा रही हैं जिससे कि निश्चित अवधि में सब लोगों को पानी मिल सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत उन गांवों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जो साफ और सुरक्षित पेय-जल प्राप्त करने में इस समय कठिनाई महसूस कर रहे हैं। पहले उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा।

SHRI VAYALAR RAVI: There is diarrhoeal disease for the last few years found among the children of Kerala in the coastal belt and more than 20 children have died this year. Will he instruct his department to make a thorough study into the causes of this disease and take preventive steps? I want to know whether he will do the needful.

श्री राजनारायण : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उस में उन्होंने कोई डिजीज तो बताई नहीं कि किस से मरे हैं।

श्री वयालार रवि : डायोरिया।

श्री राजनारायण : इसका मतलब तो हैजा भी हो जाएगा, पेचिस भी हो जाएगी। इन सब चीजों के लिए तो सूचना की आवश्यकता है। मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री बसन्त साठे : मंत्री महोदय, प्रश्न का उत्तर दें? उन्हें क्यों रोका जा रहा है?

श्री राजनारायण : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह अगर हमारा मंत्रालय नहीं देखेगा तो देखेगा कौन? हम भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं। रामचन्द्र जी ने कहा है कि हमने तीन चीजें नहीं दी : परस्त्री पर दृष्टि नहीं दी, मांगने वाले को न नहीं दी और शत्रु को पीठ नहीं दी। ये तीन "न" हैं, बाकी सब "हां" हैं।

SHRI VINODBHAI B. SHETH: Sir, it is reported by the international organisation like the W.H.O. that seventy per cent of the diseases are caused because of pollution of water. And, diarrhoea also is caused due to pollution of water. I am just citing this as an example because there was a demise in my family this month due to water pollution. Diarrhoea requires blood transfusion and, after blood transfusion, sometimes jaundice and other infection take place. Ultimately this results in hippatic coma. So, will the minister be pleased to allocate more funds for medicines for arresting many diseases including diarrhoea caused due to pollution of water?

श्री राजनारायण: माननीय सदस्य का यह कथन सत्य है कि अगर शुद्ध पानी और अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, तो पीलिका (जांडिस्) भी होगी और पेट भी खराब होगा। माननीय सदस्य का प्रश्न उचित है, लेकिन फिर वही सवाल आता है कि वाटर पालूशन का विषय हमारे विभाग में नहीं है मगर आयुर्वेद जानने वालों की यह सामान्य जानकारी है कि अगर शुद्ध पानी नहीं मिलेगा,

गन्दा पानी रहेगा, तो मच्छर पैदा होंगें और मलेरिया भी होगा। तमाम रोगों की जड़ है स्वस्थ खाद्य पदार्थ, शुद्ध जल और अच्छे मकान का न होना। और इन सब की व्यवस्था करने के लिए जनता पार्टी की सरकार आई है। अभी तीन महीने ही हुए हैं। क्या तीन महीने तीस साल के बराबर है।

SHRIMATI V. JEYALAKSHMI: May I know from the hon. Minister whether his ministry would arrange for a regular supply of the polio vaccine, triple anti-gen and other medicines specially for the children of the lower income group to all the Child and Maternity Centres as well as the primary health Centres in the rural areas?

श्री राज नारायण : डाक्टरों की सम्मत्ति से जो उचित व्यवस्था होगी, वह की जायगी।

MR. SPEAKER: Now, next question.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Sir, I wanted to put a supplementary on this question?

MR. SPEAKER: No, please. This has taken 35 minutes. I had called you to put the next question.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will you kindly allow me to put one supplementary only?

MR. SPEAKER: If I allow you, then there are so many other Members who are also interested in putting supplementaries. Will you kindly sit down?

DR. BALDEV PRAKASH: I want to know the criterion that is followed to put a supplementary?

MR. SPEAKER: We have taken 35 minutes already on this question. Besides, I have already called the hon. Member to put the next question. Will you kindly sit down now?

Revival of Mini Steel Plants

*368. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has suggested a package of measures for the revival of mini steel plants; and

(b) if so, the facts thereof and Government's reaction thereto?

Statement

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). A Statement is laid on the Table of the House.

(a) Yes, Sir, the President, Federation of India Chambers of Commerce and Industry has suggested certain measures for revival of mini steel plants.

(b) The suggestions made and action taken/proposed are detailed below:—

Suggestion made by FICCI	*Action taken/proposed.*
1. Excise Duty on production of Steel ingots by mini steel plants of Rs. 50/- and the whole of the duty of Rs. 130/- per tonne on rolled products should be abolished.	The excise duty on steel ingots production by mini steel plants stands reduced to Rs. 50/- from Rs. 200/-. In the Finance Bill, 1977 excise duty of Rs. 130/- per tonne on production of rolled products has been shifted from the rerollers to the ingots manufacturers, namely the main steel plants and the mini steel plants. The Finance Bill, 1977 also provides for exemption from payment of excise duty on identifiable types of fresh melting scrap cleared from the main steel plants as raw materials for the Mini Steel Plants